संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल462004-
Ph 0755-2576751, Fax 0755-2552219, Website:www.mptechedu.org,
E-Mail:dtemp.bpl@mp.gov.in

क्रमांक/4/शैक्ष./एम.एम.व्ही.वाय./2018/321 भोपाल, दिनांक....11.../07/2018

अत्यावश्यक सूचना

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मध्यप्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च अध्ययन हेतु लगने वाली शुल्क के प्रतिपूर्ति की योजना है।

यदि विद्यार्थी को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की अन्य किसी योजना से शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता है और यदि विद्यार्थी को ऐसी योजना से पूरी शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है तो विद्यार्थी अन्तर की राशि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है, किन्तु किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को एक से अधिक योजना से उसके द्वारा अपने शैक्षणिक संस्थान को भुगतान की गई राशि से अधिक भुगतान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

यदि कोई विद्यार्थी दो या अधिक स्थानोंसे शुल्क की प्रतिपूर्ति लेता है अथवा लेने का प्रयास करता है तो ऐसे विद्यार्थी को भविष्य के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से निष्कासित कर दिया जावेगा।

वर्तमान तक किसी विद्यार्थी ने यदि दो या अधिक स्थानों से शुल्क की प्रतिपूर्ति कराई है तो वह इस सूचना के जारी होने की तिथि से 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय से संपर्क कर आधिक्य की राशि वापस योजना के खाते में जमा करने की कार्यवाही करें।

निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं करने पर यह माना जावेगा कि विद्यार्थी ने केवल एक स्थान से ही शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त किया है, किन्तु भविष्य में जानकारी गलत पाये जाने पर ऐसे विद्यार्थी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी एवं योजना से भुगतान की राशि को वसूल किया जावेगा।

संबंधित शैक्षणिक संस्थानों से भी अनुरोध है कि वे वास्तविक देय राशि (अन्य योजनाओं से शुल्क संबंधी प्राप्त लाभ की राशि घटाकर) को ही सत्यापित कर भुगतान हेतु अनुशंसा करें।

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश